UPSI180026792024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-296/2024

काशीराम आदि बनाम सुनील मौर्या आदि।

वाद की प्रकृति	**स्थाई निषेधाज्ञा**
वाद का मूल्यांकन	**633.00 रुपये**
अधिवक्ता का नाम	**श्री पुरुषोत्तम कुमार शुक्ला**
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	**28.08.2024**

यह वाद-पत्र वादीगण द्वारा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानुसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तद्नुसार न्याय शुल्क अदा है। अतः वाद मूल वाद के रूप में दर्ज किया जाए। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2/ लिखित उत्तर/विरचन वादविन्दु दिनांक 30.09.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०),
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O Code-UP3555

<u>निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2</u>

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र 6 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को वादीय भूमि गाटा सं०-129 रकबा 0.7460 हे० लगानी 21.10 पैसा वार्षिक, स्थित ग्राम देवरिया परगना सदरपुर तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर लगी धान की फसल काटने व वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा व दखल में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची 8 ग 1 से एक किता असल खतौनी गाटा सं०-129 व एक किता असल खसरा गाटा सं०-129 क्रमशः का०सं०-9 ग 1 लगायत 10 ग 1 दाखिल पत्रावली की गयी है।

कार्यालय की आख्यानुसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

प्रार्थना-पत्र 6 ग 2 पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी 9 ग 1 व खसरा 10 ग 1 के अवलोकन से यह विदित होता है कि विवादित भूमि गाटा सं०-129 रकबा 0.7460 हे० राजस्व अभिलेखों

Digitally signed by RANJEET KUMAR JAISWAL
Date: 2024.08.28 17:26:32 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M. Mahmodabad
Sitapur.

में वादीगण के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा वे उक्त भूमि पर काबिज दाखिल हैं। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा नियत तिथि तक के लिए वादीगण की उपर्युक्त विवादित भूमि गाटा सं०-129 रकबा 0.7460 हे० स्थित ग्राम देवरिया परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर पर जबरन किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से प्रतिवादीगण को निषेधित कर दिया जाए।

आदेश

न्यायालय द्वारा नियत तिथि तक प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है कि वे विवादित भूमि गाटा सं०-129 रकबा 0.7460 हे० स्थित ग्राम देवरिया परगना सदरपुर, तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर, पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा व हस्तक्षेप न करें और न ही उस पर स्थित धान की फसल को नष्ट करें। यह आदेश मात्र वादिनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ही प्रभावी होगा। वादीगण आदेश 39 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुपालन अविलम्ब करें। वादीगण के पैरवी करने के उपरान्त ही इस आदेश की प्रति जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 ग 2/लिखित उत्तर/विरचन वादविन्दु दिनांक 30.09.2024 को पेश हो।

दिनांकः28.08.2024

(रंजीत कुमार जायसवाल)
सिविल जज (जू०डि०),
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O Code-UP3555

vijay/-